बस्तर संभाग में वनोपज उत्पादन एवं बाजार मांग का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. रविश कुमार सोनी
सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भिलाई (छ.ग.)

श्रीमती शिखा अग्रवाल
शोधार्थी
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भिलाई (छ.ग.)

विषय – वाणिज्य

प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग वन संपदा की दृष्टि से अत्यंत धनी क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के वनोपज बहुतायत मात्रा में पाये जाते है । इस क्षेत्रों में अधिकांश जनजातिय वर्ग निवास करता है एवं वनांचल के निकट निवास करने वाले 90 प्रतिशत परिवारों द्वारा वनोपज का संग्रहण किया जाता है । इस प्रकार लघु वनोपज संग्रहण यहॉ की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है, जिसके माध्यम से संग्राहक जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक संसाधन जैसे औषधियां, ईंधन इत्यादि तो प्राप्त करते ही है साथ ही आर्थिक व सामाजिक स्तर को भी उन्नत बनाते है ।

शोध का क्षेत्र :–

शोध हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र का चयन किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 10470 वर्ग कि0मी0 है । इसके अन्तर्गत सात जिले आते है कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर व सुकमा । संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में स्थित है । समस्त बस्तर में लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है यहां के निवासी तेंदूपत्ता, लाख, गोंद, महुआ, साल बीज, जैसे वनोपजों के संग्रहण कार्य में संलग्न है ।

शोध कार्य के उद्देश्य :–

शोध पत्र का लेखन निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है ।

- क्षेत्र के प्रमुख लघु वनोपजों की जानकारी प्राप्त करना ।
- लघु वनोपजों के उत्पादन व बाजार क्षेत्रों का अध्ययन ।
- संग्राहकों को संग्रहण कार्य में आने वाली समस्याओं का अध्ययन एवं निदानात्मक उपाय ।

अध्ययन पद्धति :–

शोध मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है जो प्राथमिक व द्वितीयक दोनो प्रकार के आंकड़ो पर आधारित है । प्राथमिक समंक साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम से संभाग के चयनित क्षेत्रों में निवासरत संग्राहक परिवारों से लिए गये है एवं द्वितीयक आंकड़े छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ के जगदलपुर स्थित संभाग मुख्यालय से एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व प्रकाशनों से एकत्रित किये गये है ।

अध्ययन की सीमायें –

1. किसी भी अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंकड़ो का संग्रहण है जिसमें समय व लागत दोनो ही अधिक है ।
2. शोध का क्षेत्र नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्या से ग्रसित है जहां विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है अतः सर्वेक्षण की दृष्टि से कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जा दुर्गम व पहुंच के बाहर है तथा वहां सर्वेक्षण संभव नहीं है ।
3. आंकड़ो की प्राप्ति उत्तरदाता की व्यक्तिगत रूचि पर निर्भर है कभी कभी उत्तरदाताओं से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है ।

अध्ययन हेतु निर्मित परिकल्पनायें –

शोध पत्र लेखन हेतु निर्मित परिकल्पनायें निम्नलिखित है ।

1. क्षेत्र लघु वनोपजों के उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है एवं राज्य के संपूर्ण उत्पादन की बड़ी मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है ।
2. क्षेत्र में उत्पादित लघु वनोपजों की बाजार मांग स्थानीय व अंतर्राज्यीय स्तर पर संतोषजनक है ।

3. उत्पादित लघु वनोपजों के संग्रहण कार्य में संलग्न संग्राहको के हितों में सभी पक्ष अनुकूल है ।

लघु या गैरकाष्ठीय वनोपजों का बस्तर की जनजातिय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है । ये वनोपज दो श्रेणियों में वर्गीकृत है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज ।

राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज वे वनोपज है जिनके संपूर्ण कार्य व्यापार पर सरकार का एकाधिकार होता है एवं खुले बाजार में इनका क्रय विक्रय प्रतिबंधित है इनमें तेंदूपत्ता, गोंद वर्ग–1 (कुल्लू गोंद), गोंद वर्ग 2 (धावड़ा खैर व बबूल गोंद) शामिल है । शासन का एकाधिकार होने के कारण इन वनोपजों का कार्य व्यापार अराष्ट्रीयकृत वनोपजों की तुलना में अधिक सुनियोजित है जबकि गैर राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के संबंध में इस प्रकार का एकाधिकार न होने के कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत असंगठित है अतः प्रस्तुत शोध पत्र में इन गैरराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के संबंध में अध्ययन किया गया है । संभाग में जिन प्रमुख अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों का उत्पादन होता है उनकी सूची निम्न तालिका में प्रदर्शित है ।

तालिका क्रमांक 1
बस्तर संभाग में उत्पादित होने वाले प्रमुख अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों की सूची

क्रमांक	औषधीय महत्व वाले लघु वनोपज	क्रमांक	गैर औषधीय महत्व वाले लघु वनोपज
1	आंवला	1	महुआ
2	शहद	2	इमली
3	बायबिडींग	3	चिरौंजी
4	कालाजीरा	4	पलाश
5	धवई	5	करंज
6	सतावर	6	बैचांदी
7	कलमेघ	7	तिखुर
8	नागरमोथा		
9	बहेड़ा		
10	मालकांगनी		
11	भेलवा		
12	मरोड़फल्ली		

स्त्रोत – लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ वर्ष 2016–17

तालिका में वर्णित वनोपजों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, औषधीय लघु वनोपज एवं गैर औषधीय वनोपज । उपरोक्त वनोपज के अतिरिक्त भी कई वनोपज न्यूनाधिक मात्रा में होती है । तालिका में वर्णित लघु वनोपजों के उत्पादन संबंधी आंकड़े व बाजार मांग के मानक निम्न तालिका में प्रदर्शित है –

तालिका कमांक 2
क्षेत्र में उत्पादित लघु वनोपजों के उत्पादन एवं बाजार मांग संबंधी विवरण

क्र.	लघु वनोपज	उत्पादन (क्विंटल में)		बाजार मांग
		संपूर्ण राज्य	बस्तर	
1	आंवला	31000	9800	अत्याधिक
2	सतावर	2600	1500	बहुत अधिक
3	बहेड़ा	29700	7100	बहुत अधिक
4	कालाजीरा	6800	5900	अधिक
5	धवई	26250	5000	अधिक
6	बेल	15600	4650	बहुत अधिक
7	बायविडींग	11300	4400	बहुत अधिक
8	शहद	3750	1300	बहुत अधिक
9	नागरमोथा	14800	3500	बहुत अधिक
10	कालमेघ	13950	3500	बहुत अधिक
11	मालकांगनी	3200	1200	अधिक
12	भिलवा	12250	2000	मध्यम
13	मरोड़फल्ली	3900	1350	मध्यम
14	इमली	510000	385000	बहुत अधिक
15	चिरौंजी	51700	28700	अधिक
16	करंज	26500	12500	अधिक
17	महुआ	302000	107000	बहुत अधिक
18	कुसुम बीज	27000	18000	बहुत अधिक

19	लाख	13200	9100	बहुत अधिक
20	बैचांदी	2700	1700	मध्यम
21	तिखुर	1900	1700	बहुत अधिक

स्त्रोत – छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण राज्य में उत्पादित मात्रा का एक वृहत भाग बस्तर क्षेत्र में उत्पादित होता है । तालिका विश्लेषण के पश्चात यदि बस्तर के प्रतिशत योगदान की विवेचना की जाये तो आंवला 31.6 प्रतिशत, सतावर 57.70 प्रतिशत, बहेड़ा 23.90 प्रतिशत, कालाजीरा 86.76 प्रतिशत, धवई 19.40 प्रतिशत, बेल 29.00 प्रतिशत, बायबिडींग 38.98 प्रतिशत, शहद का 34.67 प्रतिशत, नागरमोथा 23.65 प्रतिशत, कालमेघ 25.08 प्रतिशत, मालकांगनी 37.50 प्रतिशत, भिलवा 16.33 प्रतिशत, मरोड़फल्ली 34.61 प्रतिशत, इमली 75.50 प्रतिशत, चिरौंजी 55.51 प्रतिशत, करंज बीज 47.16 प्रतिशत, महुआ 35.43 प्रतिशत, कुसुम बीज 66.67 प्रतिशत, लाख 68.90 प्रतिशत, बैचांदी 62.96 प्रतिशत, व चिरौंजी 89.40 प्रतिशत बस्तर में ही उत्पादित होता है ।

इस प्रकार बाजार मांग को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है अत्याधिक या बहुत अधिक, अधिक व मध्यम जिसके आधार पर अधिकांश वनोपजों की बाजार मांग बहुत अधिक है भिलवा, मालकांगनी व बैचांदी जैसे वनोपज मध्यम मांग वाले है ।

शोध क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अधिकांश वनोपज की खपत स्थानीय बाजारों में राज्य के भीतर ही हो जाती है एवं अधिशेष मात्रा को राज्य के बाहर बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है । राज्य के भीतर, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर वनोपजों के बड़े बाजार है ।राज्य के बाहर के प्रमुख बाजार एवं इन बाजारों में प्रतिवर्ष औसतन विक्रय की जाने वाली मात्रा का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है ।

तालिका क्रमांक 3

क्षेत्र में उत्पादित प्रमुख लघु वनोपजों के अंतराज्यीय बाजार व उनमें प्रतिवर्ष विक्रित की जाने वाली औसत मात्रा (क्विंटल में)

क्रमांक	लघु वनोपज	प्रमुख अंतर्राज्यीय बाजार	विक्रय मात्रा (क्वि0 में)
1	आंवला	मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू दिल्ली व उत्तरप्रदेश	8561
2	सतावर	उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार	
3	बहेड़ा	उत्तर प्रदेश , बिहार, तमिलनाडू	9420
4	कालाजीरा	मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली	854
5	धवई	तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, केरल	8237
6	बेल	कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल	3240
7	बायबिडींग	दिल्ली, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू,	
8	शहद	कनार्टक, हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश	151
9	नागरमोथा	दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश	10431
10	कालमेघ	दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक	2520
11	मालकांगनी	दिल्ली, कनार्टक, तमिलनाडू	295
12	भिलवा	महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश	8085
13	मरोड़फल्ली		762
14	इमली	आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, दिल्ली व उत्तरप्रदेश	98557
15	चिरौंजी	मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली,	16721
16	करंज	महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश	5517
17	महुआ	आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उतरांचल, मध्यप्रदेश	82353
18	कुसुम	मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र	6551
19	लाख	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड	7020
20	बैचांदी	मध्यप्रदेश, दिल्ली	140

21	तिखुर	आन्ध्रप्रदेश व मध्यप्रदेश	696

स्त्रोत – छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास सहकारी संघ)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली व महाराष्ट्र लघु वनोपजों से संबंधित प्रमुख अंजरज्यिीय बाजार है वहीं कुल उत्पादित मात्रा का अल्प भाग ही बाहर के राज्यों को भेजा जाता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही उनकी अत्याधिक खपत हो जाती है ।

इन लघु वनोपजों के संग्रहण में संलग्न 50 संग्राहकों से उत्पादित मात्रा के संग्रहण में आने वाली समस्याओं के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गये जो निम्न है :–

क्रमांक	प्रश्न	हां	नहीं
1	क्या संग्रहित की जाने वाली वनोपज के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है ।	31	19
2	क्या वनोपज को संग्रहित करने हेतु संग्रहण स्थल तक जाने हेतु परिवहन व्यवस्था उत्तम है	22	28
3	संग्रहित वनोपजों को भंडारित करने हेतु आपके पास पर्याप्त स्थान है ।	20	30
4	क्या संग्रहित वनोपज की गुणवत्ता व परिपक्वता मानकों की संपूर्ण जानकारी है ।	18	32
5	संग्रहित वनोपजों हेतु निर्धारित मूल्य से आप संतुष्ट है ।	26	24
6	क्या बिचौलियों व बाहरी व्यापारियों को वनोपज का विक्रय करते है ।	35	15
7	क्या बाहरी व्यापारी वनोपज का सही मूल्य देते है ।	20	30
8	संग्रहण पश्चात प्रसंस्करण संबंधी कार्यो में भी संलग्न है ।	17	33

स्त्रोत – प्रश्नावली

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी में यह तथ्य सामने आया कि शहर एवं लाख संग्राहकों को अनय वनोपज संग्राहकों की तुलता में प्रशिक्षित पाया गया परन्तु वनोपज संग्रहण स्थल तक जाना अधिकांश संग्राहकों को दुर्गम प्रतीत होता है एवं दिन भर संग्रहित वनोपजों को स्वयं के निवास में संग्रहित करने में

ये असमर्थ है अपितु फड़ो में जमा करते है । अधिकांश संग्राहकों के पास गुणवत्ता मानकों संबंधी जानकारी का अभाव था, वही बिचौलियों का अस्तित्व आज भी इन क्षेत्रों में विद्यमान है जो कम मूल्य पर इनकी वनोपजों को क्रय करते है एवं बहुत कम संग्राहक ऐसे है जो संग्रहण पश्चात प्रसंस्करण या अन्य कार्य में संलग्न है ।

समस्यायें –

संपूर्ण अध्ययन पश्चात यह ज्ञात होता है कि लघु वनोपजों के संबंध में कुछ समस्यायें है जो इनके कार्य व्यापार को प्रभावित करती है जैसे संग्राहकों द्वारा विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया को न अपनाना व मौसम की मार के कारण फसल का खराब होना आदि उत्पादन को प्रभावित करते है वहीं इनके मानको की अपर्याप्त जानकारी इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है जिससे बाजार मांग पर प्रतिकूल असर पड़ता है । परिवहन साधनों के अभाव के कारण हाट बाजारों में जाकर सहकारी समितियों को विक्रय दुष्कर प्रतीत होने के कारण कम मूल्य पर ही संग्राहकों द्वारा संग्रहित वनोपज को मध्यस्तों को बेच दिया जाता है एवं नक्सलवाद भी प्रमुख समस्या है जो इनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बाधित करती है । प्रसंस्करण संबंधी इकाईयों की कमी के कारण संग्रहण पश्चात इनके पास रोजगार की समस्या होती है, अतः रोजगार की तलाश में ये क्षेत्र से पलायन कर जाते है ।

समाधान के उपाय :–

- संग्राहकों को विनाशविहीन विदोहन एवं गुणवत्ता मानकों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था को दुरूस्त बनाया जाना चाहिए ।
- परिवहन साधनों का विकास एवं अधोसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए जिससे ये हाट बाजारों में जाकर सही मूल्य पर उपज को बेच सकें ।
- मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करने हेतु ठोस उपाय अपनाये जाने चाहिए।
- समस्त अंतरज्यिीय एवं स्थानीय बाजारों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वनोपजों का विक्रय सुगमतापूर्वक हो सके ।
- अधिकाधिक प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जाये एवं इस हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाये ताकि क्षेत्र का आर्थिक विकास हो एवं अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न हो सके ।
- नक्सलवाद जो कि क्षेत्र के विकास में बाधक है का जड़ से समाप्त होना भी अतिआवश्यक है ।

निष्कर्ष :–

बस्तर क्षेत्र लघु वनोपजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्याधिक धनी है एवं उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय व गैर औषधीय लघु वनोपजों का उत्पादन यहां होता है एवं इन वनोपजों के संग्रहण में 90 प्रतिशत वनवासी संलग्न है । इन उत्पादित लघु वनोपजों की बाजार मांग भी अत्याधिक है जिससे ये क्षेत्र के आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रबल बनाते है । अतः संग्राहकों को प्रशिक्षित कर, अधिकतम प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करके व मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाये तो लघु वनोपजों का व्यापार उन्नत तो होगा ही साथ ही संग्राहकों के आर्थिक व सामाजिक स्तर भी सुधार होगा एवं क्षेत्र का समग्र रूप से उन्नति संभव होगा ।